राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141–2227884,
ई–मेल : rajpr.sep@rajasthan.gov.in, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (40) पंरावि / पीसी / एसएफसी (बांध) / 2014 / 2544 जयपुर, दिनांक : 19/7/18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद–समस्त।

विषय :– वर्षाकाल में तालाबों एवं बांधो के रखरखाव के संबंध में।

प्रसंग :– जल संसाधन विभाग के पत्रांक 920 दि. 29.06.2018 एवं विभागीय पत्रांक 1493 दिनांक 08.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रो के पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के क्रम में 0–80 एवं 80–300 हैक्टेयर क्षमता तक के तालाब जल संसाधन विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये गये हैं। उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जल संसाधन विभाग दक्षिण पश्चिम मानसून प्रारंभ होने की जानकारी देते हुए एवं राज्य मे जल भराव / बाढ की सम्भावना को देखते हुए जन धन के सुरक्षात्मक उपाय करने हेतु उचित प्रबंधन करने के निर्देश प्रदान किये है।

अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि :–

1. जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अधिकारियो / कर्मचारियो को आवश्यक रखरखाव, सुरक्षात्मक उपाय के उचित प्रबंधन हेतु निर्देशित करने एवं कार्य स्वीकृत डिजाइन के अनुसार कराने का श्रम करावें।
2. अधिकार क्षेत्र में आ रहे सभी वाटर बाडीज के गेटस व बीयरिंग की जांच सुनिश्चित करावें एवं यह सुनिश्चित करें कि ये वर्तमान में कार्यअवस्था में रहें।
3. वर्तमान मे प्रगतिरत कार्यों का निर्माण कार्य का स्तर / प्रगति इस प्रकार रखी जावे कि वर्षा काल मे इन परिसम्पतियो / कार्यो को कोई नुकसान न पहंचे ।
4. गत मानसून में करवाये गए बाहरी खुदाई कार्यों को भरवाना सुनिश्चित किया जावे।
5. यह सुनिश्चित किया जाये कि अधिकार क्षेत्र में आ रहे सभी वाटर बाडीज अच्छी अवस्था में रहें एवं मानसून के अंतर्गत किसी भी कार्य के कारण कोई क्षति न पहुंचे।
6. वाटर बाडीज की सुरक्षा एवं संवर्द्धन हेतु जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाये।
7. पंचायती राज संस्थाओं के स्वामित्व के भवनो की छत की सफाई सुनिश्चित करावे ताकि वर्षा का जल छत आदि पर संग्रहित न हो। साथ ही भवनो की नींव के पास पानी का भराव न हो, सुनिश्चित किया जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त

D:\Desktop Data\S.Sharma\Letter 2017.doc

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जलसंसाधन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ईजीएस।
5. निजी सचिव, अति0 सचिव, जलसंसाधन विभाग।
6. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. अधिशाषी अभियंता (सिंचाई), जिला परिषद समस्त।
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
9. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता

D:\Desktop Data\S.Sharma\Letter 2017.doc

D. No. 4976 PS/RD&PR/2018
Date 12 JUL 2018

8847
1217

राजस्थान सरकार

कार्यालय शासन सचिव, जल संसाधन राज. राज्य जल आयोजना एवं इ.गा.न.विभाग

विषयः— वर्षाकाल में बांधो/तालाबों के रख रखाव के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में मानसून सक्रिय हो चुका है। जल संसाधन विभाग के समस्त फील्ड अधिकारियों का मानसून अवधि में सिंचाई परिसम्पतियों को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं ।

संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों से जुड़ी गतिविधियों के पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में राज्य सरकार की आज्ञा संख्या दिनांक 02.01.2000 एवं 19.06.2003 की पालना में जल संसाधन विभाग द्वारा क्रमशः 0 से 80 हैक्टेयर एवं 80 से 300 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के बांधों/तालाबों को पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं, इसके साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त बांधों की देख–रेख हेतु प्रत्येक जिला परिषद को एक सहायक अभियन्ता/उपखण्ड कार्यालय मय स्टाफ एवं प्रत्येंक पंचात समिति को एक कनिष्ठ अभियन्ता उपलब्ध कराया गया था ।

हस्तान्तरित बांधों /तालाबों से संबंधित समस्त क्रियाकलाप यथा मरम्मत/रख–रखाव/समस्त आय प्राप्ति हेतु जल संसाधन विभाग के बजट में से पंचायती राज संस्थाओं को बांधों के अनुपात में वर्षवार राशि उपलब्ध कराई जा रही है ।

इस संबंध में निवेदन है कि वर्षाकाल में आपको हस्तान्तरित बांधो/तालाबो की सुरक्षा संबंधी समस्त उपाय करवाने हेतु आपके विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करने का श्रम करावे। आपदा के समय आवश्यक तकनीकी सहायता हेतु जल संसाधन विभाग के सबंधित खण्डीय अभियन्ताओं के माध्यम से मांग अनुसार मार्ग निर्देशन प्रदान करवाया जावेगा।

(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव,
जल संसाधन विभाग.

प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
राजस्थान,जयपुर।

यू0ओ0नोट कमांक टी/एसई(एसएस)/फ्लड सर्कूलर/2018/920
दिनांकः 29/06/18

SPR

ACEN (M)

S.L. 2235
Dt. 13/7/18

10/7/18